


USER MANUAL SERVICE –


Certificate of non- availability of
Water from Water Supply
Agency

User Walkthrough


Step 1: Visit RAJNIVESH website <https://rajnivesh.rajasthan.gov.in> and click on **Sign in**




Step 2: The applicant is required to give SSOID and password credentials.



Step 3: The applicant is required to enter BRN Number and then click on **submit**.



Step 4: The applicant is required to verify the details using OTP.



Step 5: The applicant is required to fill all the necessary details.

RAJ NIVESH
Your One-Step-Shop for Investments
Government of Rajasthan

My Profile (CAP) A- A A+ 0 24

ENTREPRENEUR/ INVESTOR COMMON APPLICATION FORM (ONE-TIME) *mandatory input

A. Proposed/ Existing Establishment/ Business Details

Establishment Name * BRN *

Nature of Business * Establishment Type *

Production Partnership

Proposed Employment (Total Employees) * Proposed Investment (₹) *

100

Sector * Activity/ Business Detail *

WATER SECTOR PROJECTS WATER SUPPLY

A1. Proposed Establishment/ Business Address

Urban/ Rural *

Urban Rural

Plot/ Building Number Lane/ Street Name

Locality District *

City Ward

Select City Name Select Ward Name

PIN Code

I have an existing business

B. Personal Details (Authorised person)

Step 6: After filling all the details, click on **submit**.

RAJ NIVESH
Your One-Step-Shop for Investments
Government of Rajasthan

My Profile (CAP) A- A A+ 0 24 MAHADEV SL

ENTREPRENEUR/ INVESTOR COMMON APPLICATION FORM (ONE-TIME)

State * District *

RAJASTHAN JAIPUR

PIN Code *

322006

C. Common Documents (eVault) File Type - PDF MAX SMB

Copy of Articles and Memorandum of Association/ Partnership Deed UPLOAD FILE	Land Ownership Documents-Lease Deed/Rent Deed/Sale Deed UPLOAD FILE
Site/Layout Plan UPLOAD FILE	Detailed Project Report UPLOAD FILE
Manufacturing Process Flow UPLOAD FILE	Photo ID (PAN Card/Driving License/Aadhar Card/Passport) UPLOAD FILE
Scanned Copy of Applicant's Signature UPLOAD FILE	Applicant's Photograph UPLOAD FILE

D. Self - Certification

If We hereby give the following undertaking:-

- I certify that the particulars furnished in the Application Form under the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Act, 2011 for Permission are true, correct and complete to the best of my knowledge and I undertake to adhere to the declaration made there under.
- If Firm/ Company hereby undertake to abide by the conditions specified in each of the Permission and to comply with all the provisions of applicable regulations.
- If Firm/ Company have gone through all the relevant laws and undertake to abide by the same.

If We hereby declare that the information given herein are, to the best of my/ our knowledge and belief, true and correct in all particulars and any inconsistency with them shall make us liable for action under rules.

Submit Cancel

Step 7: Click on **“I want to submit a new application”** to select service from the list

RAJ NIVESH
Your One-Stop-Shop for Investments
Government of Rajasthan


My Profile (CAF) A- A A+ [User Icon]

DASHBOARD

- I want to submit a new application
- 0 Applied Applications
- 0 Approved Applications
- 0 Rejected Applications
- 0 Pending (Dept.) Applications
- 0 Pending (With Me) Applications

Application Details

Show Rows: 10

S.No.	Department	Service	App ID/ Submission Date	Establishment Name	District	Sector	Present Status/ Change Date	View
 No data found								

Step 8: Select Public health and engineering department from all the services department as shown below in the screenshot.


RAJ NIVESH
Your One-Stop-Shop for Investments
Government of Rajasthan

My Profile (CAF) A- A A+ [User Icon]


DEPARTMENT/ SERVICES (CLICK DEPT. TO VIEW ITS ONLINE SERVICES)

Department of Consumer Affairs [Legal Metrology]	Energy	Factories and Boilers Inspectorate	Home
Industries	Labour	Local Self Government (LSG)	Medical & Health
Public Health and Engineering Department (PHED)	Public Works Department (PWD)	Revenue	Tourism
Urban Development and Housing (UDH)			

Step 9: After Selecting PHED department, click on **NOC of non -availability of water and click apply.**



Step 10: After applying, click on PHED Department and then click on **yes**.



Step 11: The applicant is required submit all the details.

swcs.rajasthan.gov.in/PHED/ApplicationForm.aspx

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

Online application form for new water connection for enterprises

A. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम -

Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम -

Religion/ धर्म - Hindu/ हिन्दू Muslim/ मुस्लिम Sikh/ सिख Christian/ ईसाई Buddhist/ बौद्ध Parsi/ पारसी Jain/ जैन

Gender/ लिंग - Male/ पुरुष Female/ महिला Transgender/ अन्य

Date of Birth/ जन्म तिथि -

Address/ पता - Urban/ शहरी Rural/ ग्रामीण

House Number/ मकान संख्या -

Lane/ Street Name/ रैग/ गली/ बरक -

Locality/ मोहला -

PIN Code/ पिन कोड - 302006

State/ राज्य - RAJASTHAN

District/ जिला - JAIPUR/ जयपुर

City/ शहर - JAIPUR GREATER/ जयपुर ग्रेटर

Ward Number/ वार्ड संख्या - 78

Mobile No./ मोबाइल नंबर -

Email/ ई-मेल -

Step 12: The applicant is required to upload all the necessary documents and then click on **submit**.

D. Attachments/ दस्तावेज

Note: Valid File Types: JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/PDF. Max. File Size: 2 MB per attachment/ केवल JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/PDF ही मान्य. अधिकतम जड़क संज्ञक 2 MB प्रति जड़क


A1	Self attested true copy of ownership or premises or land such as Allotment letter/ Sale Deed/ Patta/ भूजाक के सचिक के प्रमाइ इकरानना - Or/ अथवा	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
A2	Rent Agreement and NOC from land lord in case of tenants/ किरायेदार की किलि में किराये दर रतने का प्रमाइ एवं भयन/ भूजाक के सचिकी प्रमाइ एवं Existing/ proposed building plan clearly showing built up area of building/ मौजूदा/ प्रस्तावित भयन के निर्दिश क्षेत्र की दर्शात नका	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen

E. Consent/ सहमति


- आवेदक अपनी के उपरोक्त के विवरणों के लिए जिम्मेदार होने के साथ जड़क राखक, किरायेदार की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार/ अधिभार का निर्यात के अनुसार एवं सच निर्यात करीब की भुगतान करने की सहमति है। भुगतान नहीं करने पर कानूनन कार्रवाई का अधिकार विभाग को होगा।
- मीटर की संचालन के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित होगा। मीटर के चोरी कर करने को करने की किलि में सब के सब पर उपभोक्ता को न्याय मीटर संचालन विभाग में जमा करना होगा। मीटर अक्षित होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि संग्रहीत करेगी।
- मीटर संचालन के दौरान आवेदक को अपने से किसी प्रकार की शिकायत होने पर या मीटर की खराबी होने की किलि में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा सम्पत्ति न्याय मीटर अधिभार में सरकारी मीटर जमा करेगा। आवेदक को लॉन्गवर्क मीटर किराया देना होगा।
- आवेदक के सब संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की किलि में उसका सब संबंध विभाग को विन किलि पूर्व सूचना के बाद ही का अधिकार होगा।
- विन किलि में सरकारी द्वारा जड़क प्रदाय विभाग सूचना पूर्व में नहीं किया गया है, खुद विभाग द्वारा जड़क प्रदाय विभाग सूचना नहीं करने पर आवेदक को जमा करना होगा। अन्यथा उसका सब संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
- आवेदक द्वारा जो सब संबंध विभाग का सब है वह किलि न्यायप्रदाय या किलि भी विभाग से विवाद नही है और पूर्णतः भेजे अधिन है।
- संचालन अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को अक्षय करने या भयन को हटाने पर विभाग को सब संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस लॉन्गवर्क सब जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
- आवेदक जड़क सब संबंध का उपरोक्त किलि प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि सचिक के विन नहीं करेगा।
- आवेदक को बिट्टे का नूतन सब संबंध में अपनी का इच्छा बम अधिन को हट विवाद में कोई अधिभार तथा कोई सट्ट न्यायप्रदाय में ट्राय नहीं किया जायेगा।
- संचालन भयन निर्माण/भयन भयन ट्रो मीटर (ग्राउंड-1) से अधिक नहीं है। सब भी में ट्रो मीटर से अधिक निर्माण होगा सब नियन्त्रणकारी शक्ति अनधिकृत पाट क्षेत्रकार के विरुद्ध के अधिकार राशि विभाग में जमा करा दी जायेगी।
- लॉन्गवर्क राशि के संबंध में यदि अधिभार में अधिकार राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

* उपरोक्त सर्वां का उपस्थान करने पर विभाग को आवेदक का सब संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं सब संबंध विभाग को जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को सब बाध्य रहेगा।

Step 13: After successfully submitting the application, a generate application number ID for further procedure.



Step 14: Applicant status show here to applicant



Step 15: Superintending Engineer Login with the SSO ID and open PHED Connection Portal for Checking documents submitted by applicant and after checking proceed the application to related Assistant Engineer for Further necessary action.

Rajasthan Single Sign On v 32.6
One Digital Identity for all Applications

English | हिन्दी

PPS

2B APPS

ITIES

1 7, 0 9 8

Office Bitta

Login Registration

.....

2 9 6 9 9 8 Enter Captcha

Login

OR

Login With **Harit Pehchaan** e-Program

- I Forgot my Digital Identity (SSOID) [Click Here](#)
- I Forgot my Password [Click Here](#)
- I have multiple SSOIDs [Click here to merge](#)

Step 16: Application status from the PHED officer end.

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

A- A+ Help SHRI ANIL K...

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No./ पंजीकरण क्रमांक PHED/2024-25 Current Status/ वर्तमान स्थिति APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)

Application Progress / अद्यतन परिचिन्ति				
Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	03/06/2024 15:05:23	

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम

Religion/ धर्म Gender/ लिंग MALE

Date of Birth/ जन्म दिनांक

Urban/ Rural/ शहरी/ ग्रामीण URBAN House Number/ मकान संख्या

Lane/ Street Name/ क्षेत्र/ गली/ सड़क Locality/ मोहल्ला

District/ जिला Jaipur

PIN Code/ पिन कोड 302006 State/ राज्य Rajasthan

Mobile No./ मोबाइल नंबर Email/ ई-मेल

Step 17: PHED officer will take action related to reject/object/forward the application after checking.

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No/ पंजीकरण क्रमांक: PHEO/2024-25 Current Status/ वर्तमान स्थिति: APPLICATION FORWARDED TO AE

Application Progress / आवेदन प्रगति				
Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	03/06/2024 15:05:23	
2	APPLICATION FORWARDED TO AE	PLEASE SUBMIT SITE REPORT	03/06/2024 17:39:54	

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम: [Redacted] Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम: [Redacted]

Religion/ धर्म: [Redacted] Gender/ लिंग: MALE

Date of Birth/ जन्म दिनांक: [Redacted]

Urban/ Rural/ ग्रामीण/ शहरी/ ग्रामीण: URBAN House Number/ घरान संख्या: [Redacted]

Lane/ Street Name/ कोरा/ गली/ सड़क: [Redacted] Locality/ मोहल्ला: [Redacted]

District/ जिला: Jaipur State/ राज्य: Rajasthan

PIN Code/ पिन कोड: 302006 Email/ ई-मेल: [Redacted]

Mobile No./ मोबाइल नंबर: [Redacted]

Step 20: AEN will send to related Junior Engineer for Technical Report.

E. Attachments/ दस्तावेज

A1	Self attested true copy of ownership or premises or land such as Allotment letter/ Sale Deed/ Patta/ भाग/ भूखत के समित के प्रमाण दस्तावेज Or/ अथवा Rent Agreement and NOC from land lord in case of tenants/ किरायेदार की स्थिति में किरायेदार द्वारा रकने का प्रमाण एवं भवन/ भूखत के स्वामी का अवकाश प्रमाण पत्र	Download
A2	Existing/ proposed building plan clearly showing built up area of building/ मौजूदा/ प्रस्तावित भवन के निर्दिष्ट क्षेत्र को दर्शाता नक्शा	Download


F. Consent/ सहमति

- आवेदक, पानी के उपयोग के लिए नियमित तरीके के साथ जल राशय, सोदोरा प्रदाय की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के पंप/अधिभार का नियोजन के अनुकार इन चार्ज नियम तालिका को ध्यान रखते हुए तैयार करेगा।
- मीटर की नुस्खा के लिए उपयुक्त विद्येयुद्ध होगा। मीटर के कौरी बल करने को जाने की स्थिति में स्वयं के खर्च पर उपयुक्त को नया मीटर लखन विभाग में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली करेगी।
- मीटर/सामान में सरकारी/आवेदक की ओर से किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी मरुदमा विभाग को देने की विद्येयुद्धी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा सम्पत्ति नया मीटर पथिथ में सरकारी मीटर माना जायेगा। आवेदक को प्रयोग मीटर किराया देना होगा।
- आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को जिन किसी पूर्व चुनने के कारणों का अधिकार होगा।
- जिन स्थितियों में सरकारी द्वारा जल सहाय विकास नुस्खा पूर्व में लगी किया गया है, सभी विभाग द्वारा जल सहाय विकास नुस्खा मंगी जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद करा दिया जायेगा।
- आवेदक द्वारा जो जल संबंध विधा का रूप है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः भोग्य है।
- सरकारी अलावा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को अध्याय करने या भवन को सटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक ध्यान रखने के लिये वादा होगा।
- आवेदक उस जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैयक्तिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
- आवेदक को स्थिति का उसे जल संबंध में जाने का दबाव कराय आयोग तो इन विभाग में कोई अपाति तथा कोई सहाय न्यायालय में दाखल नहीं किया जायेगा।
- आवेदक उस जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैयक्तिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
- आवेदक को स्थिति का उसे जल संबंध में जाने का दबाव कराय आयोग तो इन विभाग में कोई अपाति तथा कोई सहाय न्यायालय में दाखल नहीं किया जायेगा।
- सर्वदा अद्यतन नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत (हाउस-1) से अधिक नहीं है। जब भी वे दो अधिक से अधिक निर्धारित होना एवं नियमनुसार प्रति वर्गमीटर स्तर क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जायेगी।
- रेडकर राशि के संबंध में यदि पथिथ में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका ध्यान रखने हेतु नकलत है।


उपरोक्त सर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बकाया विभाग को जो भी होने होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह वादा करेगा।

Forward Object Cancel

Step 21: If documents are OK then SE forwards File to related AEN for further process



Step 22: The application has been forwarded successfully.



Step 23: Junior Engineer officer will Login with their SSO ID and then open PHED Connection Portal.

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No/ पंजीकरण क्रमांक: PHED/2024-25/... Current Status/ वर्तमान स्थिति: APPLICATION FORWARDED TO AE

Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	03/06/2024 15:05:23	
2	APPLICATION FORWARDED TO AE	PLEASE SUBMIT SITE REPORT	03/06/2024 17:39:54	

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम: ... Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम: ...

Religion/ धर्म: ... Gender/ लिंग: MALE

Date of Birth/ जन्म दिनांक: ...

Urban/ Rural/ ग्रामीण: URBAN House Number/ मकान संख्या: ...

Lane/ Street Name/ सेरा/ गली/ सड़क: ... Locality/ मोहल्ला: ...

District/ जिला: Jaipur PIN Code/ पिन कोड: 302006 State/ राज्य: Rajasthan

Mobile No./ मोबाइल नंबर: ... Email/ ई-मेल: ...

Step 24: Junior engineer officer will submit Site Report and then forwarded to Assistant Engineer for approval and generation of demand note.

E. Attachments/ दस्तावेज

A1	Self attested true copy of ownership or premises or land such as Allotment letter/ Sale Deed/ Patta भवन/ भूखण्ड के स्वामित्व के प्रमाण दस्तावेज Or/ अथवा Rent Agreement and NOC from land lord in case of tenancy/ किरायेदार की मिली में किराये पर रहने का प्रमाण एवं भवन/ भूखण्ड के स्वामी का अवगतित करण पत्र	Download
A2	Existing/ proposed building plan clearly showing built up area of building/ मौजूदा/ प्रस्तावित भवन के निर्मित क्षेत्र को दर्शाते नक्शा	Download

F. Consent/ सहमति

- अवेदक अपने के उपरोक्त के लिए निश्चित करने के साथ वत राखन, संकेतक प्राप्त की राशि एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार अधिभार का नियमों के अनुसार वत सब मिलाव तारीख को भुगतान करने को समझते हैं। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन बनाने का अधिकार विभाग को होगा।
- मीटर की सुझा के लिए उपरोक्त विनियम होगा। मीटर के घंटी वत करने को मिले में सब के खर्च पर उपरोक्त को म्या मीटर लाइन विभाग में वत कराना होगा। मीटर अतिरिक्त होने पर अवेदक से अतिरिक्त राशि वसूली करेगी।
- मीटर लाइन में सरकार अवेदक की ओर से किसी प्रकार की सीकेड होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी मरुतन विभाग को देने की जिम्मेदारी अवेदक को होगी।
- अवेदक द्वारा मरुतन म्या मीटर अधिक में सरकारी मीटर माना जायेगा। अवेदक को प्रीमियम मीटर किराया देना होगा।
- अवेदक के वत संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका वत संबंध विभाग को विना किसी पूर्व सूचना के बताने का अधिकार होगा।
- दिन बहिनियों में सरकार द्वारा वत प्रदाय विकास सुका पूर्व में नती किया गया है, वहाँ विभाग द्वारा वत प्रदाय विकास सुका मंगे जाने पर अवेदक को वत कराना होगा, अन्यथा उसका वत संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
- अवेदक द्वारा जो वत संबंध किया का वह है वह किसी व्यापार या किसी भी विभाग से विकसित नहीं है और पूर्णतः सरे अधिन है।
- सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को अबात करने या भवन को हटाने पर विभाग को वत संबंध विच्छेद करने का पूर्व अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका अवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
- अवेदक वत वत संबंध का उपरोक्त किता प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नती करेगा।
- अवेदक को टिपे या वत वत संबंध में एनो का दबाव काम आयोग तो वत विभाग में कोई आरिप तथा कोई वत व्यापार में उपर नती किया जायेगा।
- सर्वमान भवन निर्माण/परिभर वत टो मरिण (एनएच-1) से अधिक नहीं है। वत भी ये टो मरिण से अधिक निर्माण होगा वत नियामकुरत प्रति वर्गमीटर वत क्षेत्रफल के सिवाय से अतिरिक्त राशि विभाग में वत करा दी जायेगी।
- वेकवट राशि के संबंध में वट्टे अधिक में अतिरिक्त राशि की म्या की जाती है तो अवेदक उसका भुगतान करने हेतु समझते हैं।

उपरोक्त सर्तों का उल्लान करने पर विभाग को अवेदक का वत संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं वत वत विभाग को जो भी इमि होगी उसकी अतिरिक्त करने को वत बाध्य रहेगा।

Forward Object Cancel

Step 25: Click on issue NOC.

F. Consent/ सहमति

1. आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सीवरेज प्रभार की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार/अधिभार का निवर्तन के अनुसार हर माह निपट तरीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चला जाने/खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्च पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर विभाग में जमा करना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
3. मीटर/लाइन में सरकार/आवेदक की ओर से किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा स्थापित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जायेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. तिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वहाँ विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को आगत करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तरीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उस जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
10. आवेदक को विद्ये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जायेगा।
11. वर्तमान भवन/निर्माणवाहक भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी में दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जायेगी।
12. रोडकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

F. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Does pipeline network exists? क्या पाइपलाइन का नेटवर्क उपलब्ध है? No/ नहीं Yes and sufficient water supply is also available/हाँ एवं जल आपूर्ति भी पर्याप्त है Yes, but sufficient water supply is not available/हाँ, परन्तु जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम *

Date/ दिनांक *

[Surveyor Name Input Field]

26/06/2024 [Date Input Field]

Issue NOC Cancel

Step 26: Technical report submitted successfully and transfer to Aen.

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

F. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Does pipeline network exists? क्या पाइपलाइन का नेटवर्क उपलब्ध है? No/ नहीं Yes and sufficient water supply is also available/हाँ एवं जल आपूर्ति भी पर्याप्त है Yes, but sufficient water supply is not available/हाँ, परन्तु जल आपूर्ति पर्याप्त नहीं है

Diameter of Pipeline (In Millimeter)/ पाइप लाइन का व्यास (मिलीमीटर में) *

Type/ प्रकार *

110

H.D./PE/एचडीपीई

Distance of pipe line from building (In Meter)/ पाइपलाइन की भवन/स्न से दूरी (मीटर में) *

Water Pressure (Kg/ sq.cm.) पानी का दबाव (किलोग्राम प्रति वर्ग से.मी.) *

3

6

Neighbour's bill account number (if any)/ पड़ोसी के पानी के बिल का खाता संख्या (यदि हो तो)

BILL ACCOUNT NUMBER OF NEIGHBOUR

Information/ सूचना

Technical report submitted successfully.

OK

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम *

Date/ दिनांक *

Step 27: Application status for PHED.

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

Department Dashboard

Department Details

Status: Pending At Department (ALL) Search... Show Rows: 10

S. No.	Application ID	Submission Date/Time	Establishment Name	Type	District	Status	View
1	PHED/2024-25	09/06/2024 15:09:23		COMMERCIAL	Jaipur	SITE SURVEY REPORT SUBMITTED BY JE	

Showing - 1 to 1 of 1 rows

First Previous 1 Next Last

Step 28: AEN Login with their SSO ID then Check Survey report.

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No/ पंजीकरण क्रमांक: PHED/2024-25 Current Status/ वर्तमान स्थिति: SITE SURVEY REPORT SUBMITTED BY JE

Application Progress / आवेदन गतिविधि				
Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	19/06/2024 15:29:51	
2	APPLICATION FORWARDED TO AE	FILE OK PLS CHECK AND REPORT	19/06/2024 15:32:56	
3	APPLICATION FORWARDED TO JE	PLEASE SUBMIT SITE REPORT	20/06/2024 14:17:51	
4	SITE SURVEY REPORT SUBMITTED BY JE	TECHNICAL REPORT SUBMITTED	27/06/2024 19:19:27	

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम: Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम:

Religion/ धर्म: HINDU Gender/ लिंग: MALE

Date of Birth/ जन्म तिथि:

Step 29: Click on Submit

F. Consent/ सहमति

1. आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सौख्येज प्रभार की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार/अधिभार का निम्न के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपरोक्त जिम्मेदार होगा। मीटर के सौरी बंद करने/खोलने की स्थिति में स्वयं के खर्च पर उपभोक्ता को नया मीटर साकार विभाग में जमा करना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी।
3. मीटर/लाइन में सरकार/आवेदक की ओर से किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा स्थापित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जायेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को विना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वहाँ विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा करना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को अर्जान करने या भूदान को हटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उस जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के कृषिक/अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेंगे।
10. आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जायेगा।
11. सर्वानुम भवन/निर्माणोपलभन को मंत्रालय (याउड-1) से अधिक नहीं है। जब भी में दो मंत्रालय से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लॉट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
12. रोजकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

G. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Connection could not be provided and NOC issued to applicant/ जल सम्बन्ध नहीं दिया जा सकता। आवेदक को NOC दे दी गयी है।

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम _____ Date/ दिनांक 26/06/2024 12:00:00 AM

Certificate of Non availability of drinking water/ पेयजल की अनुरक्षता का प्रमाण पत्र [Download](#)

Submit Cancel

Step 30: SE Check water Connection report then Issue NOC to Applicant.

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No/ पंजीकरण क्रमांक PHED/2024-25 _____ Current Status/ वर्तमान स्थिति DEMAND NOTE SUBMITTED TO SE

Application Progress / आवेदन गतिविधि				
Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	19/06/2024 15:29:51	
2	APPLICATION FORWARDED TO AE	FILE OK PLS CHECK AND REPORT	19/06/2024 15:32:56	
3	APPLICATION FORWARDED TO JE	PLEASE SUBMIT SITE REPORT	20/06/2024 14:17:51	
4	SITE SURVEY REPORT SUBMITTED BY JE	TECHNICAL REPORT SUBMITTED	27/06/2024 19:19:27	
5	DEMAND NOTE SUBMITTED TO SE	DEMAND NOTE SUBMITTED SE	04/07/2024 12:11:57	

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Applicant Name/ आवेदक का नाम _____ Father/ Husband Name/ पिता/ पति का नाम _____

Religion/ धर्म HINDU Gender/ लिंग MALE

Date of birth/ जन्म तिथि _____

Step 31: Click on submit

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

A- A A+ ⓘ Help ▾

10. आवेदक का जल जो रहे जल संबंध में जल का ब्याव करने आदि का इस विषय में प्रमाणात्मक रूप पर्याप्त न करने पर अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
11. वर्तमान भवन/निर्माणाधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
12. रोडकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

G. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Connection could not be provided and NOC issued to applicant/ जल सम्बन्ध नहीं दिया जा सकता। आवेदक को NOC दे दी गयी है।

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम	XXXXXXXXXXXX	Date/ दिनांक	26/06/2024 12:00:00 AM
Certificate of Non availability of drinking water/ पेयजल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र	Download		

Step 32: NOC has been issued to applicant

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

A- A A+ ⓘ Help ▾

F. Consent/ सहमत

1. आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सीवरेंज प्रभार की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार/अधिभार का निर्यात हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चला जाने की स्थिति में स्वयं के खर्च पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर विभाग में जमा करना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जाएगी।
3. मीटर/लाइन में सरकार/आवेदक की ओर से किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
4. आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जाएगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
6. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वहाँ विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा करना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा।
7. आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः मेरे अधीन है।
8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को अर्पण करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
9. आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
10. आवेदक को दिनें जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्याय विभाग को नहीं देना है।
11. वर्तमान भवन/निर्माणाधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
12. रोडकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

G. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Connection could not be provided and NOC issued to applicant/ जल सम्बन्ध नहीं दिया जा सकता। आवेदक को NOC दे दी गयी है।

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम	XXXXXXXXXXXX	Date/ दिनांक	26/06/2024 12:00:00 AM
Certificate of Non availability of drinking water/ पेयजल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र	Download		

Information/ सूचना

Technical report submitted successfully and NOC has been issued to applicant.

Step 33: Applicant login and download certificate.

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

Online Application Form For New Water Connection For Enterprises

A. Application Details / आवेदन के बारे में

Registration No/ पंजीकरण क्रमांक: PHED/2024-25/ [REDACTED] Current Status/ वर्तमान स्थिति: CONNECTION COULD NOT BE PROVIDED (NOC ISSUED)

Application Progress / आवेदन गतिविधि				
Sl. No.	Status	Remarks	Status Changed On	Updated By
1	APPLICATION SUBMITTED (PENDING WITH SE)	APPLICATION SUBMITTED	19/06/2024 15:29:51	[REDACTED]
2	APPLICATION FORWARDED TO AE	FILE OK PLS CHECK AND REPORT	19/06/2024 15:32:56	[REDACTED]
3	APPLICATION FORWARDED TO JE	PLEASE SUBMIT SITE REPORT	20/06/2024 14:17:51	[REDACTED]
4	SITE SURVEY REPORT SUBMITTED BY JE	TECHNICAL REPORT SUBMITTED	27/06/2024 19:19:27	[REDACTED]
5	DEMAND NOTE SUBMITTED TO SE	DEMAND NOTE SUBMITTED SE	04/07/2024 12:11:57	[REDACTED]
6	CONNECTION COULD NOT BE PROVIDED (NOC ISSUED)	TECHNICAL REPORT SUBMITTED	05/07/2024 11:11:30	[REDACTED]

B. Personal Details/ व्यक्तिगत विवरण

Step 34: Click on Download

Public Health Engineering Department
Government of Rajasthan

F. Consent/ सहमत

- आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सीबरेज प्रभार की राशि, एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार/अधिभार का नियमों के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
- मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चला जाने/खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्च पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर विभाग में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
- मीटर/साइन में सरकार/आवेदक की ओर से किसी प्रकार की सीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जायेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
- आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
- जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नहीं लिया गया है, वही विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
- आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः नए अधीन है।
- सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा भूमि को आवास करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
- आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
- आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान भवन/निर्माणधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी में दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
- रोडकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

G. Technical Report/ तकनीकी रिपोर्ट

Connection could not be provided and NOC issued to applicant/ जल सम्बन्ध नहीं दिया जा सकता। आवेदक को NOC दे दी गयी है।

Surveyor Name/ निरीक्षक का नाम	[REDACTED]	Date/ दिनांक	26/06/2024 12:00:00 AM
--------------------------------	------------	--------------	------------------------

Certificate of Non availability of drinking water/ पेयजल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र [Download](#)

Cancel

Certificate to applicant for NOC



**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT**

Certificate Ref. No: PHED/2024-25/ [REDACTED]

Date: 05/07/2024

Certificate to applicant for Non-availability of drinking water

This is certified that applicant [REDACTED] address [REDACTED] had applied for drinking water connection vide application no. PHED/2024-25/[REDACTED] date 19/06/2024 in locality/ address [REDACTED] Jaipur could not be provided drinking water connection due to **Non-availability of infrastructure for water supply.**



PHED

Digitally Signed by [REDACTED]

Designation : EXECUTIVE
ENGINEER

Date: 2024.07.05 11:11:30 IST


Reason: Connection Released

Location: Rajasthan, IN

Disclaimer: This is a digitally signed certificate and does not required any physical signature.


Tracking process of Application status

Step 1 – Visit RAJNIVESH Portal and click on Track/Verify your application under Information




The screenshot displays the RAJ NIVESH portal homepage. The browser's address bar shows the URL rajnivesh.rajasthan.gov.in/#information. The page header includes the RAJ NIVESH logo and navigation links: Home, Services, Information, About Us, Useful Contacts, FAQ, Feedback, Query, and Sign In. The main content area is a grid of service tiles. The tile for 'Track/ Verify your application' is highlighted in light blue. Other visible tiles include Dashboard-1, Dashboard-2, Acts/ Rules/ Polices/ Notifications/ Circulars, News, Events & Announcements, FORMS, Industrial Land Bank, RIICO Allottable Vacant Industrial Plots, RIICO Land Bank on IILB, RIICO E-Auction Portal, Download/ Validate Your Certificate, Verification of Past Payments, Track your query, User Guide and Tutorials, Automated Pre-Check, and State Levies and Duties. The footer contains contact information and copyright details.

Step 2 – Enter application number and click on submit



Third party verification

Step 1 - Visit RAJNIVESH Portal and click on **Download/Validate your Certificate under **Information** tab**



Step 2 – Click Here for Public Health and Engineering Department (PHED)

VALID x PHED x Inbx x 2024 x en x MISC x BRAP x 3b08 x Rajas x Regis x +

rajnivesh.rajasthan.gov.in/Home/Verifycertificate

RAJ NIVESH

Time-Bound Approval & Clearance

Home Services Information About Us Useful Contacts FAQ Feedback Query Sign In

Download/ Validate Your Certificate

Sr. No.	Department (Application Name)	Click Below
1	DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS [LEGAL METROLOGY] (METROLOGY)	Click Here
2	ENERGY (EID)	Click Here
3	ENERGY (JDVNL, AVVNL)	
4	FACTORIES AND BOILERS INSPECTORATE (RAJFAB)	Click Here
5	HOME (HOME e-SERVICES)	Click Here
6	INDUSTRIES (PARTNERSHIP FIRMS)	Click Here
7	INDUSTRIES (RIPS)	Click Here
8	LABOUR (LDMS)	Click Here
9	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (90A)	Click Here
10	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (BPAS)	Click Here
11	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (FIRENOG)	Click Here
12	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (RENEW TRADE LICENCE)	
13	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (TELECOM INFRASTRUCTURE)	Click Here
14	LOCAL SELF GOVERNMENT (LSG) (TRADE LICENCE)	Click Here
15	MEDICAL & HEALTH (DRUG LICENCE)	Click Here
16	PUBLIC HEALTH AND ENGINEERING DEPARTMENT (PHED) (PHED)	Click Here
17	PUBLIC WORKS DEPARTMENT (PWD) (ROAD CUTTING)	Click Here
18	RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION (RIICO) (RIICO)	Click Here
19	RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD (RSPCB) (RSPCB)	Click Here
20	REVENUE (LAND CONVERSION)	Click Here
21	REVENUE (TELECOM INFRASTRUCTURE)	Click Here

© DIRECT LINE - +91-141-2227899 (9:30 AM TO 6 PM - IST: MONDAY TO FRIDAY).
SITE DESIGNED, DEVELOPED & HOSTED BY DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION, GOVT. OF RAJASTHAN.

Search 35°C ENG 15:56

Step 3 – Validate your certificate by entering application id and click submit

VAL x PHE x PHE x Inbx x 2024 x en x MIS x BRA x 3b0 x Raj x Reg x +

swcs.rajasthan.gov.in/PHED/VerifyLicense.ASPX

Public Health Engineering Department

Government of Rajasthan

VALIDATE CERTIFICATE (APPLICATION ID.: PHED/2024-25/107312)

Application ID / आवेदन संख्या

PHED/2024-25/ [REDACTED] [Submit](#) [Reset](#)

Certificate Details / विवरण

Sl. No.	Application ID	Establishment Name	Connection Type	Connection Issued On	Remarks	Download
1	PHED/2024-25/[REDACTED]	[REDACTED]	PERMANENT	13/06/2024	ok	Download

Site designed, developed & hosted by Department of Information Technology & Communication, Govt. of Rajasthan.
For any assistance please mail us at: ej_cehq@nic.in

Search 35°C ENG 15:57

Order copy dated 17.08.2017 mandates that for commercial and industrial connection accepted only through online application.

